न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 05/2022

जगदीश पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा (बलाई) निवासी दूबल्या तहसील लवाण जिला दौसा
..अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा
2. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

..रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय व नामान्तरण संख्या 03 व आदेश दिनांक 28.6.1989 राजस्व कैम्प तहसीलदार दौसा

उपस्थित—1. श्री जगजीवन राम, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

निर्णय दिनांक: 08.05.2024

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 28.6.1989 को ग्राम दूबल्या का नामान्तरण सं0 06 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट् व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में दलील दी कि अपीलांट ने गोरा बेवा नानगा की जगह गोरा बेवा रामचन्द्र अंकित करने हेतु एक प्रार्थना पत्र उनवानी जगदीश बनाम राजस्थान सरकार उप जिला मजिस्ट्रेट लवाण के यहाँ प्रा.पत्र सं. 1/2021 पेश किया था जिसको उप जिला मजिस्ट्रेट लवाण के द्वारा दिनांक 04.1.2022 को खारिज कर दिया तथा नामान्तरण प्रकिया में गलती होने के कारण धारा 136, एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया जिस पर अपीलांट ने नामान्तरण सं0 6 दिनांक 28.6.1989 की नकल दिनांक 7.2.2022 को प्राप्त होने पर जानकारी से अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाते हुए अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपील अपीलांट अत्यधिक विलंब से पेश की गई है। अपीलांट को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात मूल अपील पर बहस अंतिम सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम दूबल्या में आराजी खसरा नंबर 133 से 137, 166 से 178, 189 से 190, 197, 198, 213, कुल किता 38 रकबा 6.12 है0 स्थित थी। उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का हिस्सा 1/15 व मृतक रणजीता का हिस्सा 1/15 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि की खातेदारी पूर्व में भागीरथ, रामचन्दा, रामसहाय, मूल्या, लक्ष्मण पि0 नानगा के नाम से दर्ज थी। रामचन्द्र पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:29.31 IST
Reason: Self Attested

....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

नानगा के स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत का नामान्तरण सं0 6 पटवारी हल्का द्वारा गोरा बेवा रामचन्दा, जगदीश, रणजीता पि. रामचन्दा के नाम खोला गया तथा उक्त नामान्तरण राजस्व कैम्प में दिनांक 28.6.1989 को तहसीलदार दौसा के समक्ष तस्दीक हेतु पेश किया गया। तहसीलदार दौसा द्वारा उक्त विरासत का नामान्तरण तस्दीक किया गया है उसमें सहवन से व पटवारी हल्का द्वारा खोले गये नामान्तरण का बिना अवलोकन किये ही गलत तरीके से नामान्तरण में रामचन्दा की पत्नि गोरा बेवा नानगा दर्ज कर दिया च नामान्तरण तस्दीक कर दिया। जबकि मृतक गोरा नानगा की पत्नि नहीं होकर रामचन्दा की पत्नि है तथा अपीलांट की माता थी, जिसका स्वर्गवास दिनांक 20.7.1999 को हो गया। नानगा गौरा का ससुर था। उक्त गलती तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण का अवलोकन किये बिना ही तस्दीक किया है जो अवैधानिक है। अपीलांट ने गोरा बेवा नानगा की जगह गोरा बेवा रामचन्द्र अंकित करने हेतु एक प्रार्थना पत्र उनवानी जगदीश बनाम राजस्थान सरकार उप जिला मजिस्ट्रेट लवाण के यहाँ प्रा. पत्र सं. 1/2021 पेश किया था जिसको उप जिला मजिस्ट्रेट लवाण के द्वारा दिनांक 04.1.2022 को खारिज कर दिया तथा नामान्तरण प्रकिया में गलती होने के कारण धारा 136, एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया जिस पर यह नामान्तरण अपील पेश की जा रही है। तहसीलदार दौसा के द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 28.6.1989 विरूद्ध कानून, नियम, उपनियम व पत्रावली व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण के आदेश देने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरण का भली प्रकार अवलोकन ही नहीं किया जबकि पटवारी ने स्पष्ट रूप से नामान्तरण की पुश्त पर जो सजरा रामचन्दा का बनाया है उसमें भी रामचन्दा के दो पुत्र अपीलांट व उसकी माता गोरा दर्ज किया है तथा नामान्तरण के कॉलम सं0 09 में मु0 गोरा बेवा रामचन्दा व जगदीश, रणजीता पि0 रामचन्द्र स्पष्ट रूप से दर्ज किया है किन्तु तहसीलदार दौसा ने पटवारी हल्का के द्वारा खोले गये नामान्तरण व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट का अवलोकन किया बिना ही नामान्तरण में गोरा बेवा रामचन्दा की जगह गोरा बेवा नानगा दर्ज कर दिया जो अवैधानिक है। तहसीलदार दौसा द्वारा बिना किसी आधार के नामान्तरण तस्दीक करने के आदेश में गोरा बेवा नानगा दर्ज किया गया है जबकि गोरा मृतक रामचन्दा की विवाहिता पत्नि थी, जिसका दिनांक 20.7.1999 को स्वर्गवास हो गया है। उक्त गलती तहसीलदार दौसा द्वारा महज जल्दबाजी में आदेश आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। तहसीलदार दौसा को नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट से जानकारी हासिल करनी चाहिए थी, परन्तु तहसीलदार दौसा ने अपीलांट को विरासत का नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया और ना ही वारिसान के संबंध में कोई जांच की गई बल्कि गलत तरीके से नामान्तरण में गोरा बेवा नानगा अंकित कर दिया। खातेदार रणजीता का स्वर्गवास लगभग ढाई वर्ष पूर्व हो चुका है तथा रणजीता अविवाहित था उसके कोई जाईन्दा पुत्र पुत्रियां नहीं है तथा रणजीता की पगडी भी अपीलांट के बंधी है इसलिए अपीलांट ही रणजीता के भूमि का भी कानूनन हकदार है। अतः अपीला अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सं0 6 दिनांक 28.6.1989 को निरस्त फरमाया जावे अथवा नामान्तरण सं0 6 में तहसीलदार लवाण को गोरा बेवा नानगा के स्थान पर गोरा बेवा रामचन्द्र अंकित करने के आदेश फरमावें। तथा संशोधित नामान्तरण तस्दीक करे।

4. राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि तहसीलदार दौसा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरण में सहवन से अपीलांट की माता का नाम गोरा बेवा रामचन्द के स्थान पर गोरा बेवा नानगा दर्ज हो गया होगा। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के तथ्यों को ध्यान में रखकर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:29:31 IST
Reason: SelfAttested

......निरन्तर 3 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

कार्यवाही नामांतरण तस्दीक होने से पूर्व में ही करवानी चाहिए थी, फिर भी यदि त्रुटि केवल अपीलांट के माता का नाम गोरा बेवा रामचन्द्र के स्थान पर गोरा बेवा नानगा के हद तक ही है, तो तहसीलदार लवाण को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

5. अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 28.06.1989 को ग्राम दूबल्या का नामान्तरकरण सं0 06 विरासत के आधार पर राजस्व कैम्प में तस्दीक किया गया है। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरण में रामचन्दा पुत्र नानगा के फौत होने पर रामचन्द्र की विरासत जगदीश रणजीता पि. रामचन्द्र, व मु0 गोरा बेवा नानगा के नाम नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जॉच एवं आदेशार्थ पेश किया गया। जिसके आधार पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट जॉच गिरदावर के अंकित कर तहसीलदार दौसा ने राजस्व शिविर में दिनांक 28.6.1989 को नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरण के खिलाफ अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील दायर कर, अपीलांट की माता गोरा के पति रामचन्द्र के स्थान पर गोरा बेवा नानगा दर्ज कर दिया। विरासत के नामान्तरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गोरा रामचन्द्र की पत्नि थी एवं नानगा गोरा का ससुर था। अपीलांट ने माता का नाम गोरा बेवा रामचन्द्र के स्थान पर गोरा बेवा नानगा अंकित हो गया को सही दर्ज करने की इस्तदुआ की गई। अपीलांट के हक में नामांतरण संख्या 06 दिनांक 28.6.1989 को तहसीलदार दौसा के द्वारा वाके ग्राम दूबल्या को तस्दीक किया गया है, जिसमें अपीलांट की माता का नाम गोरा बेवा रामचन्द्र के स्थान पर गोरा बेवा नानगा गलत दर्ज कर दिया गया है। पत्रावली में संलग्न अपीलांट की माता गोरा देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी गोरा के पति का नाम रामचन्द्र अंकित है। साथ ही नामान्तरण की पुश्त पर भी पटवारी हल्का के द्वारा जो सजरा अंकित किया है उसमें भी गोरा को रामचन्द्र की पत्नि अंकित किया गया है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

6.उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 06 वाके ग्राम दूबल्या पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.6.1989 को अपीलांट की माता गोरा पत्नि नानगा के नाम की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से तहसीलदार लवाण को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08 मई 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:29:31 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा